न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 161 / 2024
जीसीएमएस संख्या–2024 / 256

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मादाराम पुत्र भोलाराम 2. भिरमराम पुत्र जवानराम 3. भूराराम पुत्र जैरूपराम 4. मगाराम पुत्र रामाराम सभी जातियान जाट निवासीयान खारिया आनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर		1. कमली पुत्री गोपाराम 2. गटु पत्नि गोपाराम फौत के कायम मुकाम अप्रार्थीगण के रूप मे संयोजित है। 3. गवरी पुत्री गोपाराम 4. गोरधनराम पुत्र गोपाराम 5. चन्द्राराम पुत्र गोपाराम 6. चिमनाराम पुत्र गोपाराम 7. दौलाराम पुत्र गोपाराम 8. रमली पुत्री गोपाराम 9. सलुडी पुत्री गोपाराम सभी जातियान जाट निवासीयान खारिया आनावास तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर 10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दर्ज दिनांक :–25.07.2024

उपस्थित अधिवक्ता
1 संग्राम सिंह चौहान–प्रार्थीगण की ओर से ।

2 मंसूर अली छीपा–अप्रार्थी संख्या 04,05,07 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 16/04/2026

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खारिया आनावास तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की कब्जाशुदा, खातेदारीशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 24/3 क्षेत्रफल 0.7281 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारीसुदा खेत खसरा नबरं 24/3 में आने जाने हेतु कटाणी रास्ता से होकर शुरू अप्रार्थीगण के खेत खसरा नबरं 7 की उत्तरी पश्चिमी माठ के सहारे सहारे कदमी रास्ता चलता है जिसकी चौडाई करीब 20 फीट है। उक्त कदमी रास्ता आगे प्रार्थीगण के खेत खसरा नबरं 24/3 पर आने जाने का पीढ़ीयों से कदमी रास्ता विद्यमान रहा है। उक्त कदमी रास्ता वादग्रस्त रास्ता है। वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य मार्क ए, बी, सी, डी के मध्य दर्शाया गया है । वादग्रस्त रास्ता का प्रार्थीगण पीढ़ीयों से अपने अपने खेतों में आवागमन हेतु एंव टेक्ट्रर ट्रॉली, बैल छकड़ा, मवेशी वगैराह लाने ले जाने हेतु उपयोग उपभोग करते आयें है। उक्त वादग्रस्त कदमी रास्ता के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नबरं 24/3 में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वादग्रस्त रास्ता में पत्थरों की दीवार निकालनें के लिए पत्थर वगैराह डालना शुरू किया जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

वादग्रस्त रास्ता पर पत्थर डालकर वादग्रस्त रास्ता में अवरोध क्यो खड़े किये है जिस पर अप्रार्थीगण ने ऐलानिया कहा कि खसरा नबंर 7 हमारी खातेदारीशुदा जमीन है इसलिए दीवार निकालकर वादग्रस्त रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद करके रहेगें जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है क्योकि वादग्रस्त रास्ता पीढीयों से विद्यमान रहा है एवं प्रार्थी के खेत में आने जाने का एकमात्र रास्ता है। खेत खसरा नबंर 24/3 प्रार्थीगण की कब्जासुदा खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नबंर 24/3 में आने जाने का पीढीयों से परम्परागत कदमी रास्ता खेत खसरा नबंर 7 में स्थित वादग्रस्त रास्ता ही है जिसकी चौडाई करीब 20 फीट है। उक्त वादग्रस्त रास्ता का प्रार्थीगण पीढ़ीयों से आवागमन हेतु व आने जाने हेतु उपयोग व उपभोग में लेते आये है इसलिए उक्त वादग्रस्त रास्तें को रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश ग्राम खारिया आनावास की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नबंर 24/3 क्षेत्रफल 0.7281 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में आने जाने वाला वादग्रस्त रास्ता जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा नबंर 7 में स्थित है जिसे रास्ता घोषित फरमाया जाने व नक्शें में वादग्रस्त रास्ता तरमीम की जाने एंव अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या 1,3,6,8,9 के समन बाद तामिल अवसर दिये जाने के बावजूद स्वंय/प्रतिनिधि अनुपस्थित, जिस पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 4,5,7 की ओर से अधिवक्ता मंसूर अली छीपा ने वकालतनामा पेश किया, बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया।

अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत कि जिसके अनुसार उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया, रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौका पर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि मार्क ए,बी,सी,डी खसरा संख्या 7 लम्बाई 138 मीटर चौड़ाई 6 मीटर यानी 828 मीटर यानी रकबा 0.0828 हैक्टेयर प्रस्तावित रास्ते की भूमि के डी.एल.सी. दर की गणना करने पर निम्न अनुसार राशि होना पाया ।

खसरा नम्बर	रकबा	राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी	कुल देय
7	0.0828 हैक्टयर	132294 X 2	21908/-

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि डी.एल.सी.दर से गणना कर पालना रिपोर्ट तैयार की गई ।

हमने बहस पक्षकारान् सुनी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में पुनः निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थीगण को ग्राम खारिया अनावास के खसरा नम्बर 24/3 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के खेत खसरा नम्बर 7 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन एवं बहस पक्षकारान् पर मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम खारिया अनावास के खसरा नम्बर 24/3 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के खेत खसरा नम्बर 7 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य होने स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम खारिया अनावास के खसरा नम्बर 24/3 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 09 के खेत खसरा नम्बर 7 में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार कुल क्षेत्रफल 0.0828 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 132294/– की गणना से राशि रूपये 10954/– बनती है, रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.0828 हैक्टयर भूमि की मालियत राशि रूपये 10954/– रूपये बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 21908/– रूपये बनती है। प्रार्थीगण राशि 21908/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी/राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 21908/– रूपये का चैक/ डी. डी. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)